न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 156/23 निर्णय दिनांकः— 31-01-2024
(जीसीएमएस संख्या 2023/371)

1. किशनाराम उर्फ किसनलाल पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 24—11—1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—
1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 24—11—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील खाजुवाला में चक 8 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 131/11 में 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 131/19 में 25 बीघा इस प्रकार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कुल तादादी 50 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी को 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने का नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा, अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—11—1999 के विरूद्ध अपील दिनांक 13—07—23 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—11—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील 13—07—2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए चक 8 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 131/11 में 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 131/19 में 25 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 50 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व के बाबत् 35 प्रातिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण अपीलांट के आवेदन पर आवंटन संबंधी कोई विचार नहीं किया जा सकता। अतः आवेदन पत्र खारिज किया जाता इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी साबित है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु नोटिस दिनांक 28—02—1997 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस तामील की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सुनिश्चितता अथवा चालान आवंटन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् को जारी नोटिस दिनांक 28–02–1997 की तामीली की सुनिश्चितता किये बिना ही अपीलांट् का प्रार्थना पत्र एक साईक्लोस्टाईल आदेश के माध्यम से खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत् आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि: Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such un allotted land. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपयुर्क्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1339 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है जोकि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है।

7. अतः उक्त नियम व नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–11–1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र में अपीलांट् द्वारा आवेदित भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने अथवा विशेष आवंटन नियम 13 ए (5) (4) के अनुसरण में नये सिरे से आवंटन की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 31/1/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर